# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

## पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

**प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 11 /2019**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| एचडीएफसी बैंक लि. डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन, पेनिनसुला बिजनेस पार्क–विंग "बी" 4थी मंजिल, डॉन मिल्स कम्पाउण्ड, गणपत राव, कदम मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम) मुम्बई– 400013, फोन– 33958061 | | 1. मैसर्स नागौर ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि.<br>2. विजेन्द्र चौधरी<br>3. श्रीमति अल्का चौधरी<br>पता – अजमेर रोड, दिल्ली दरवाजा से बाहर की तरफ, नागौर राजस्थान– 341001 |

**आदेश** दिनांक: 05-02-2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत दिनांक 30.01.2019 पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.10.2012 को स्वीकृति पत्र के द्वारा रूपये 1200 लाख की केश केडिट लिमिट की सुविधा स्वीकृत की गई थी। इसके उपरान्त प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को रूपये 500लाख की ड्राप लाईन ओवर ड्राफ्ट लिमिट की अतिरिक्त सुविधा दिनांक 12.11.2012 को स्वीकृति पत्र द्वारा स्वीकृत की गई थी। दिनांक 18.06.2013 को केश केडिट की सुविधा रूपये 1200लाख से बढ़ाकर रूपये 1700लाख कर दी गई तथा ड्रॉप लाईन ओवर ड्राफ्ट लिमिट की सुविधा रूपये 500लाख से घटाकर 460 लाख कर दी गई। इसके उपरान्त ड्रॉप लाईन ओवर ड्राफ्ट की सुविधा रूपये 460 से घटाकर रूपये 98 लाख दिनांक 11.05.2015 के स्वीकृति पत्र के द्वारा कर दी गई। इसके उपरान्त केश केडिट लिमिट की सुविधा रूपये 1700लाख से घटाकर रूपये 900लाख तथा रूपये 800 लाख केश केडिट लिमिट की सुविधा को इन्वेन्ट्री फण्डींग लिमिट की सुविधा में बदल दिया गया तथा ड्राप लाईन ओवर ड्राफ्ट की सुविधा रूपये 98 लाख से घटाकर रूपये 69.41 लाख दिनांक 23.07.2015 की स्वीकृति पत्र द्वारा कर दी गई। प्रार्थी बैंक द्वारा एडहोक इन्वेन्ट्री फण्डिंग लिमिट की सुविधा रूपये 500लाख 60 दिनों के लिए दिनांक 20.11.2015 के स्वीकृति पत्र द्वारा दी गई। अप्रार्थी ऋणी के द्वारा लगातार प्रार्थी बैंक के द्वारा दी गई उपरोक्त विभिन्न लिमिट की सुविधाओं की बकाया राशियों का भुगतान नहीं किये जाने पर अप्रार्थी ऋणी के डिफॉल्ट हो जाने पर खाते को दिनांक 12.08.2016 को एन.पी.ए. वर्गीकृत कर दिया गया। इसके उपरान्त अप्रार्थी ऋणी के अनुरोध पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 02.02.2017 के स्वीकृति पत्र के द्वारा अप्रार्थी ऋणी के खाते को नियमों व शर्तों के साथ रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। तद्नुसार केश केडिट लिमिट की सुविधा और ड्रॉप लाईन ओवर ड्राफ्ट की सुविधाओं को सम्मिलित कर रूपये 752.14लाख कर दिया गया तथा इन्वेन्ट्री फण्डिंग लिमिट की सुविधा को रूपये 800लाख जारी रखा गया तथा प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 24.04.2017 को पत्र द्वारा अप्रार्थी ऋणी को उपरोक्त स्वीकृति जारी कर दी गई परन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा नियम व शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण रिस्ट्रक्चर खारिज कर अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 12.08.2016 को एन.पी.ए. मान लिया गया है।

अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति – प्लॉट नं. 3, दिल्ली दरवाजा के बाहर की तरफ, नागौर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण 25 वर्गगज, पूर्व

**से पश्चिम 30 वर्गगज है जो कि विजेन्द्र चौधरी के नाम से है** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 12.08.2016** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 13,20,05,299.39/–(अक्षरे तेरह करोड बीस लाख पांच हजार दो सौ निन्यानवे रूपये एंव उनचालीस पैसे मात्र) दिनांक 19.06.2018 तक शेष देय है व इसके आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 21.06.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 13,20,05,299.39/–(अक्षरे तेरह करोड बीस लाख पांच हजार दो सौ निन्यानवे रूपये एंव उनचालीस पैसे मात्र) दिनांक 19.06.2018 तक शेष देय है व इसके आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **प्लॉट नं. 3, दिल्ली दरवाजा के बाहर की तरफ, नागौर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल उतर से दक्षिण 25 वर्गगज, पूर्व से पश्चिम 30 वर्गगज है जो कि विजेन्द्र चौधरी के नाम से है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से उपरोक्तानुसार ऋण सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे सम्पति **प्लॉट नं. 3, दिल्ली दरवाजा के बाहर की तरफ, नागौर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल उतर से दक्षिण 25 वर्गगज, पूर्व से पश्चिम 30 वर्गगज है जो कि विजेन्द्र चौधरी के नाम से है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव )
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर